न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 17/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. रामेश्वर प्रसाद पुत्र जगन नाथ प्रसाद
निवासी 208–के, विश्वकर्मा कॉलोनी, ग्राम–अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332701, राजस्थान। ऋणी

2. संजना देवी पत्नी रामेश्वर प्रसाद सहऋणी एवं रहनकर्ता
निवासी 208–के, विश्वकर्मा कॉलोनी, ग्राम–अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332701, राजस्थान।
यहां भी...
संजना देवी
निवासी प्लॉट स्थित एट खसरा नम्बर 293, ग्राम– अजीतगढ़, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332701।

3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोपीराम जमानती
निवासी वार्ड नम्बर 7, ढ़ाणी ढाला की, ग्राम– गढ़टकनेत, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332701 राजस्थान।

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांकः 13 मई, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री सुभाष कुल्हरी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **रामेश्वर प्रसाद, संजना देवी, राजेन्द्र प्रसाद** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **प्लॉट स्थित एट खसरा नम्बर 293, ग्राम– अजीतगढ़, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332701 राज. जिसकी नाप 500 वर्गगज मालिकाना हक संजना देवी का है एवं जिसकी चारों सीमाएंः– पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में स्वयं की भूमि, उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में रामेश्वर लाल की भूमि हैं,** को बंधक रखकर

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

11,00,000/—रूपये (अक्षरे रूपये **ग्यारह लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **08.08.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **08.08.2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **रामेश्वर प्रसाद, संजना देवी, राजेन्द्र प्रसाद** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **प्लॉट स्थित एट खसरा नम्बर 293, ग्राम— अजीतगढ़, तहसील— श्रीमाधोपुर, जिला सीकर— 332701 राज. जिसकी नाप 500 वर्गगज मालिकाना हक संजना देवी का है एवं जिसकी चारों सीमाएंः— पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में स्वयं की भूमि, उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में रामेश्वर लाल की भूमि हैं,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 13-5- 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner